विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/2022

मेसर्स मेटल पावडर, — आवेदक/अपीलार्थी
प्रोपाईटर श्री पियूष जैन,
सेक्टर नं. 1, पिथमपुर,
जिला – धार (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन (संचा./संधा.) संभाग, — अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पिथमपुर – (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 18.05.2022 को पारित)

01. आवेदक मेसर्स मेटल पावडर प्रोपाईटर श्री पियूष जैन, सेक्टर नं. 1, पिथमपुर, जिला – धार (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 04.02.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0485121 दिनांक 30.09.2021 से असंतुष्ट न होने के कारण अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 07.02.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 07/2022 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :–

- सहायक यंत्री पीथमपुर द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 05.01.2021 नोटिस प्राप्त हुआ ।
- अवगत होवे कि मैं पियुष जैन (प्रोपरायटर मेटल पावडर इण्डिया पिथमपुर) द्वारा परिसर में अस्थाई व्यवसायिक संयोग लिया था ।
- दिनांक 27.12.2011 को तात्कालिक सहायक यंत्री वि. केन्द्र पीथमपुर से व्यक्तिगत संपर्क कर (चर्चा उपरांत) अस्थाई संयोग का अंतिम बिल माह नवंबर 2011 रू. 4020, सीएससी नंबर 88 दिनांक 27.12.2011 को जमा करवा कर संयोग विच्छेदन का आवेदन (वितरण

केन्द्र पीथमपुर, कार्यालय में दिनांक 27.12.2011 को आवक में दर्ज है) दिया जाकर उसी दिन अस्थाई संयोग का मीटर एवं सर्विस लाईन निकलवा कर स्थाई रूप से विच्छेदित करवा दिया गया था । आवेदन दिनांक 27.12.2011 एवं भुगतान किए गए बिल की प्रति (पावती) संलग्न है ।

- संयोग विच्छेदन करवाने के बाद, मैं लगातार इन्दौर से बाहर रहा । इसके बाद दिनांक 16.02.2016 को लौटने पर मालुम हुआ कि मीटर सर्विस लाईन दिनांक 27.12.2011 को निकालने के बाद भी बिलिंग चालू रखी गई है । तब मैं तत्काल दिनांक 16.02.2016 को तात्कालिक सहायक यंत्री से मिला एवं पूर्व पत्र दिनांक 27.12.2011 को पुनः उन्हें दिखाया एवं उनके कहने पर उसकी फोटो प्रति पुनः प्रस्तुत कर पावती आवक क्रमांक 1557 दिनांक 16.02.2016 (सहपत्र दिनांक 15.02.2016 सहित) संलग्न प्रस्तुत है ।
- दिनांक 16.02.2016 को ही तात्कालिक सहायक यंत्री ने मेरे संयोग का पूरा रिकार्ड (डायरी इत्यादि) का अवलोकन कर, चर्चा के दौरान ही जानकारी दी गई थी, इस क्षैत्र के लाईन कर्मी की अत्यधिक शिकायतें आई है । उसके द्वारा आपके अस्थाई संयोग का मीटर निकालने के बाद दूसरी जगह लगा दिया था एवं रीडिंग आपके संयोग की डायरी में चढ़ाता रहा है । इस कारण आपको बिल जाते रहे हैं वास्तव में मीटर कहीं और लगा है । जानकारी दी गई कि इस लाईन मेन ने ऐसी और गंभीर अनियमितता की है । यह भी बताया कि दुर्भाग्य से कुछ दिन पूर्व ही दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है ।
- सहायक यंत्री ने पूरा रिकार्ड देखकर कहा कि माह नवम्बर 2011 का बिल (जो आपने जमा कर दिया है) के बाद कोई राशि बकाया नहीं बनती है बल्कि सुरक्षा निधि लौटाना है ।
- लगातार पिछले 10 साल से बोगस डिमाण्ड बनी हुई है । सहायक यंत्री पत्राचार का जवाब नहीं दे रहे हैं । अनुरोध है कि प्रकरण में प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर तथा कार्यालयीन रिकार्ड देख मेरी ओर निकाली गई बोगस बकाया राशि निरस्त करवाने का कष्ट करें ।
- फोरम द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विपक्ष ने अस्थाई विद्युत कनेक्शन का स्थाई विच्छेदन करने के आवेदन दिनांक 27.12.2011 को प्राप्त करने के उपरांत विलम्ब से दिनांक 20.11.2015 को अंतिम रीडिंग 7992 पर स्थाई विच्छेदन किया है । अतः कनेक्शन के स्थाई विच्छेदन के बाद के जारी किए गए बिलों को विलोपित किया जाता है विपक्ष द्वारा माह जनवरी 2013 से उपलब्ध करवाए गए बिलिंग दस्तावेजों के अनुसार माह जनवरी 2013 से स्थाई विच्छेदन दिनांक 20.11.2015 तक के बिलों से आंकलित खपत हटाते हुए

वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जावे तथा तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जावे ।

- महोदय से अनुरोध है कि मेरे द्वारा 27.12.2011 को अस्थाई संयोग को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । (प्राप्ति संलग्न) संयोग विच्छेदन करवाने के बाद, मैं लगातार इन्दौर से बाहर रहा । इसके बाद दिनांक 16.02.2016 को लौटने पर मालुम हुआ कि मीटर सर्विस लाईन दिनांक 27.12.2011 को निकालने के बाद भी बिलिंग चालू रखी गई है । तब मैं तत्काल दिनांक 16.02.2016 को तात्कालिक सहायक यंत्री से मिला एवं पूर्व पत्र दिनांक 27.12.2011 को पुनः उन्हें दिखाया एवं कहने पर उसकी फोटो प्रति पुनः प्रस्तुत कर पावती आवक क्रमांक 1557 दिनांक 16.02.2016 (सहपत्र दिनांक 15.02.2016 सहित) संलग्न प्रस्तुत है ।
- अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरे प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए वितरण कम्पनी द्वारा निकाली गई बोगस राशि रू. 91330/– को निरस्त करने का कष्ट करें ।

7. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो पृथक पृष्ठ पर विवरण दर्शायें) :

उपरोक्तानुसार ।

8. विद्युत लोकपाल महोदय से वांछित राहत ।

मेरे द्वारा फेब्रिकेशन का कार्य माह दिसम्बर 2011 में पूर्णतः बंद कर दिया गया था तथा अस्थाई संयोग स्थाई रूप से बंद करने हेतु आवेदन स्वयं कार्यालय जाकर सहायक यंत्री से संपर्क कर तुरंत मीटर निकलवा कर संयोग बंद करवा दिया गया था । साथ ही सभी मशीनें भी हटवा दी गई थी । लाईन मैन की लापरवाही/शरारत के कारण बिलिंग बंद नहीं हुई बिलिंग चालू रही । अब कहा जा रहा है कि बिल का भुगतान करें । इसी प्रकार फोरम ने भी मेरे द्वारा प्रस्तुत मुद्दों/कथनों/प्रमाणों इत्यादि जैसे संयोग बंद करने का आवेदन दिनांकित पावती पत्र के समान अन्य दस्तावेजों पर तो गौर ही नहीं किया एवं न ही स्पीकिंग आदेश में विवेचना की है । विद्युत फोरम द्वारा ग्राह्य एवं अग्राह्य बिन्दुओं पर विवेचना न कर एक तरफा सोच लेकर निर्णय सुनाया है । उपभोक्ता द्वारा अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोरम अपने आदेश में पूर्णतः मौन रहा है । अतः न्याय हेतु विद्युत लोकपाल महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर न्याय हेतु निवेदन किया गया है । अतः महोदय से अनुरोध है कि बोगस बकाया को निरस्त किया जावे यह विनती है ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–07/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 20.04.2022 को नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 20.04.2022 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री रत्नेश सिंह, जूनियर इंजीनियर, पीथमपुर उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति अनावेदक द्वारा आवेदक को उपलब्ध करा दी जावेगी ।

सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि से मोबाईल पर प्रकरण के संबंध में चर्चा की गई, आवेदक द्वारा प्रकरण में अगली सुनवाई नियत करने हेतु निवेदन किया गया । आवेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 05.05.2022 नियत की गई ।

अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वह निम्नलिखित 06 बिन्दुओं पर विवरण सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

01. अस्थाई कनेक्शन स्वीकृत करने की दिनांक ।
02. अस्थाई कनेक्शन की स्वीकृत अवधि, उसके साथ ही यदि अवधि का विस्तार किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण ।
03. मीटर बदलने की दिनांक एवं साथ में अन्तिम रीडिंग एवं प्राथमिक रीडिंग ।
04. मीटर स्थापना का स्थल (पोल या परिसर) ।
05. बन्द मीटर लम्बी अवधि तक नहीं बदलने का कारण ।
06. अस्थाई कनेक्शन की सम्पूर्ण अवधि की रीडिंग डायरी एवं बिलिंग का विवरण ।

उक्त 06 बिन्दुओं पर अपना उत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दिनांक 05.05.2022 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो । आवेदक को सुनवाई की तिथि सूचित हो ।

❖ अगली सुनवाई दिनांक 05.05.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री पियूष जैन एवं आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एम.डी. गोयल तथा अनावेदक की ओर से श्री कपिल मनु साहू, सहायक ग्रेड–3, उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 08.04.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया, जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि, उपभोक्ता मेसर्स मेटल पाउडर (इंडिया) का पीथमपुर वितरण केंद्र पर विद्युत कनेक्शन क्रमांक N3812015527 था जो की पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 में स्थित था। यह एक अस्थाई

विद्युत कनेक्शन था जिसका विद्युत भार 7 KW का था, यह कनेक्शन उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि रूपए 91330/– जमा न करने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

2. उक्त सम्बंध में उपभोक्ता का मीटर पीथमपुर वितरण केंद्र में दिनांक 20.11.2015 को अंतिम मीटर रीडिंग के अनुसार 7992 KWH पर जमा किया गया। (संलग्न–मीटर विच्छेदन रजिस्टर की छायाप्रति)
3. उपभोक्ता को दिए गए माह नवंबर 2015 के अंतिम विद्युत देयक के अनुसार बिल रीडिंग के अनुसार 7992 KWH का बिल उपभोक्ता की सुरक्षा निधि रूपए 14000/– का समावेश करने के उपरांत रूपए 90930/– बकाया राशि पर कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था।
4. उपभोक्ता को दिए गए विद्युत देयक बिल के अनुसार रीडिंग 7992 KWH तक कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज है अर्थात इस रीडिंग तक उपभोक्ता के द्वारा विद्युत का उपयोग किया गया था। (संलग्न– मीटर रीडिंग की छायाप्रति)
5. उपभोक्ता के मीटर से प्राप्त मीटर रीडिंग के अनुसार उसे अंतिम विद्युत देयक (बिल) दिया गया था। (संलग्न– अंतिम विद्युत देयक की छायाप्रति)
6. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखित करना अति आवश्यक है, की उपभोक्ता द्वारा 27.12.2011 के उपरांत भी विद्युत देयकों का भुगतान किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिसर में विद्युत का उपयोग उपभोक्ता द्वारा निरंतर किया जा रहा था। (संलग्न– विद्युत देयकों की छायाप्रति)
7. माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के निर्णय अनुसार उपभोक्ता के माह जनवरी 2013 से स्थाई विच्छेदन दिनांक 20.11.2015 तक के बिलों से आंकलित खपत हटाना एवं तत्संबंधी अधिभार हटाया जाना पीथमपुर वितरण केंद्र द्वारा प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार उल्लेखित आधारों के आलोक में माननीय लोकपाल महोदय से सादर निवेदन है कि आवदेक द्वारा विद्युत लोकपाल, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष संस्थित प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

❖ आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित मौखिक जानकारी दी गई कि –

01. मेरे द्वारा 7 किलोवाट के गैर घरेलू अस्थाई कनेक्शन की मांग वर्ष 2010 में मेरे फैक्ट्री परिसर हेतु की गई थी, जिसका मैंने नियमित भुगतान करता था एवं उक्त कनेक्शन को स्थाई रूप से काटकर बन्द करने हेतु दिनांक 27.12.2011 को आवेदन दिया था विभाग द्वारा उसी दिन मीटर एवं सर्विस लाईन निकाल ली गई थी ।

02. मुझे फेब्रिकेशन का अस्थाई कार्य मिलने के कारण मैंने अस्थाई कनेक्शन लिया था ।

03. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आपत्ति उठाने पर तथा कार्य पूर्ण हो जाने पर मेरे द्वारा कनेक्शन स्थाई तौर पर बन्द करवा दिया गया था क्योंकि मेरे परिसर में पूर्व से कनेक्शन था।

04. कनेक्शन का मीटर हट जाने के उपरान्त मैंने न तो उपयोग किया एवं ना ही किसी बिल का भुगतान किया, क्योंकि उसके बाद न मीटर लगा एवं ना ही विद्युत प्रदाय हुआ ।

05. स्थाई रूप से बन्द कर देने के उपरान्त मैं विदेश चला गया था । मुझे वर्ष 2016 में 91330/– रू. का बिल भुगतान हेतु दिया गया जिस पर मैंने पुनः दिनांक 16.02.2016 को निवेदन किया कि मेरा अस्थाई कनेक्शन दिनांक 27.12.2011 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया है उसके उपरान्त न तो मीटर लगा है और न ही कोई उपयोग किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि लाईनमैन द्वारा गड़बड़ी करने के कारण यह गलत बिल बना है । आपके उपर कोई बकाया राशि नहीं है ।

06. उपरोक्त स्थिति के उपरान्त भी मुझसे 91330/– रू. की लगातार मांग की जा रही है । उक्त बिल गलत है जो कि लाईनमैन द्वारा गलत रीडिंग एवं विवरण दर्ज करने के कारण बना है, अतः निरस्त करने योग्य है ।

07. दिनांक 27.12.2011 को मुझे प्रदाय किए गए अस्थाई कनेक्शन का मीटर निकाल लिया गया था एवं मेरे द्वारा अस्थाई कनेक्शन की अवधि बढ़ाने हेतु उसके उपरान्त न तो कोई आवेदन दिया एवं न ही विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, अतः उपयोग भी नहीं किया ।

❖ अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान निम्न कथन किए '–

क. अनावेदक से पूछा गया कि दिनांक 20.04.2022 को निर्देशित 06 बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।

ख. कनेक्शन दिनांक 27.12.2011 को नहीं काटा गया था ।

ग. कनेक्शन वास्तविकता में 20.11.2015 को अन्तिम रीडिंग 7992 पर विच्छेदित किया गया था, परन्तु रजिस्टर के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है ।

घ. उपभोक्ता द्वारा दिनांक 29.01.2013 से दिनांक 23.01.2015 तक लगातार बिलों का भुगतान किया है । अन्तिम बिल रू0 2839/– दिनांक 23.01.2015 को भुगतान किया गया था, परन्तु रजिस्टर के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है ।

ङ. अनावेदक को दिनांक 20.04.2022 को निर्देशित 06 बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही साथ 29.01.2013 से दिनांक 23.01.2015 तक भुगतान करने वाले का विवरण भी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो वह नहीं दे सका ।

उपरोक्त जानकारी के साथ अनावेदक दिनांक 12.05.2022 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें, यह अन्तिम अवसर है । जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया जावेगा ।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 12.05.2022 नियत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हो ।

❖ अन्तिम सुनवाई दिनांक 12.05.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री पियूष जैन एवं आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एम.डी. गोयल तथा अनावेदक की ओर से श्री कपिल मनु साहू, सहायक ग्रेड–3, उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 12.05.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया, जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि, उपभोक्ता के कनेक्शन की NGB सिस्टम पर पूर्व लेजर के अनुसार, विद्युत कनेक्शन की दिनांक 03.08.2010 है उपभोक्ता के अस्थाई कनेक्शन हेतु दिए दस्तावेज कार्यालय में सर्च करने पर उपलब नही हुए चुकि प्रकरण लगभग 12 वर्ष पूर्व का है। (संलग्न NGB सिस्टम विद्युत कनेक्शन दिनांक)
2. महोदय जी बिंदु 2 के अनुसार पूर्व में RAPDRP सॉफ्टवेयर में जो कि पीथमपुर वितरण केंद्र पर माह JAN-2013 से FEB-2020 तक बिलिंग का माध्यम था इसमे LV2.2TM हेतु कनेक्शन प्रारंभिक रूप से 6 माह हेतु दिए जाते है तत्पश्चात उपभोक्ता आवेदन कर अपने विद्युत कनेक्शन को अवधि बढ़ा सकता था।
3. उपभोक्ता के मीटर बदलने के माह की डिटेल उपभोक्ता पासबुक में उपलब्ध है पीथमपुर वितरण केंद्र पर उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है चुकि COVID-19 काल में पीथमपुर वितरण केंद्र में केवल 5 साल पूर्व तक ही मीटर रिप्लेसमेंट जो कि उर्जस सिस्टम पर है उपलब्ध है उपभोक्त के उक्त मीटर की अंतिम रीड 7992 KWH कार्यालयीन रिकॉर्ड में उपलब्ध है। (संलग्न छायाप्रति)
4. उपभोक्ता का कनेक्शन मेसर्स मेटल पाउडर (इंडिया) पीथमपुर प्रो. पीयूस जैन सेक्टर नंबर 01 पीथमपुर में स्थित था।
5. तत्कालीन वितरण केंद्र प्रभारी द्वारा प्रति माह अप्रैल 2014 एवं मई–2014 में औसत खपत 210 यूनिट की बिलिंग की गयी थी तत्पश्चात जून–2014 से मई–2015 तक औसत रीड़िग 300 यूनिट की बिलिंग की गयी थी संभवतः उपभोक्ता द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो (वितरण केंद्र में सर्च करने पर ज्ञात नहीं हुआ) इसी कारण तत्पश्चात माह जून–2015 में उपभोक्ता का मीटर बदला गया था।

6. अस्थाई विद्युत संयोजन की बिलिंग का वितरण माह जनवरी–2013 से सयोजन बंद होने की दिनांक 20.11.2015 तक की बिलिग रिकॉर्ड RAPDRP सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है महोदय जी वितरण केंद्र पर पूर्व में अस्थाई कनेक्शन की बिलिंग मैन्युअल की जाती वितरण केंद्र पर माह JAN-2013 से निरंतर RAPDRP सॉफ्टवेयर एवं NGB सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिलिंग रिकॉर्ड है पूर्व की भौतिक रीडिंग डाटा उपलब्ध नहीं है।
7. उपभोक्ता के पेमेंट संबंधी HVCMS जो कि पोर्टल पर भी उपलब्ध है क्रमानुसार माह वार प्रस्तुत किया जा रहा है पूर्व में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था उक्त रिकॉर्ड को आईटी सेल इंदौर से प्राप्त किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था।
8. उपभोक्ता का कनेक्शन तत्कालीन अधिकारी श्री पुरूषोत्तम बैरागी जी द्वारा कनेक्शन को जारी रखा गया था।
9. उपरोक्त प्रकरण में उपभोक्ता के अनुसार लाइनमैन द्वारा उक्त कनेक्शन का उपयोग किसी अन्य कनेक्शन के लिए करवाया जा रहा था परन्तु वर्ष 2016 में सम्बंधित लाइनमैन की मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है।

   इस संबंध में यह उल्लेखित करना अति अवाश्यक है, की उपभोक्ता द्वारा 27.12.2011 के उपरांत भी विद्युत देयकों का भुगतान किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है की परिसर में विद्युत का उपयोग उपभोक्ता द्वारा निरंतर किया जा रहा था। (संलग्न– विद्युत देयकों की छायाप्रति)

   उपरोक्तानुसार उल्लेखित आधारों के आलोक में माननीय लोकपाल महोदय से सादर निवेदन है कि आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष संस्थित प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

   आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित मौखिक कथन किए जिसे रिकार्ड में लिया गया।

❖ अनावेदक से दिनांक 20.04.2022 एवं दिनांक 05.05.2022 की सुनवाई में प्रकरण से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके प्रति उत्तर में उनके द्वारा पत्र क्र. 548 दिनांक 12.05.2022 प्रस्तुत किया है । किन्तु पत्र में अनावेदक ने न तो दिए गए 6 बिन्दुओं पर कोई जानकारी प्रस्तुत की है एवं न ही कोई स्पष्ट प्रत्युत्तर प्रेषित किया है । यहां तक की अनावेदक अस्थाई कनेक्शन की अवधि के संबंध में आवेदक के आवेदन भी प्रस्तुत नहीं कर सका है । मीटर बदलने के संबंध में समुचित

दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया । इतनी लम्बी अवधि तक बिना आवेदन के कनेक्शन कैसे जारी रहा यह भी बताने में असफल रहा । दिनांक 27.12.2011 को मीटर निकल जाने के उपरान्त बिलिंग कैसे चालू रही उसके बाद के बिल किसके द्वारा और किस विधि से जमा किए गए यह सब भी बताने में असफल रहा । यहां तक की अस्थाई कनेक्शन की बिल की गई अवधि की मीटर डायरी एवं बिलिंग स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं कर सका ।

अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन में अक्टूबर 2013 से मई 2015 तक औसत बिलिंग की गई, इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकें । दिनांक 27.12.2011 को अस्थाई कनेक्शन का मीटर निकल जाने के उपरान्त पुनः मीटर लगाने का कोई भी रिकार्ड/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

❖ **आवेदक की ओर से कथन :–**

01. आवेदक ने अपने कथन में यह बताया कि जिस परिसर में अस्थाई कनेक्शन लिया गया था वहां पर पूर्व से 45 एच.पी. का स्थाई कनेक्शन था जिससे पी.पी. कैप्स, ह्यूमिक एसिड एवं वाशिंग पावडर बनाया जाता था ।
02. फेब्रिकेशन का अस्थाई कार्य करने हेतु परिसर में 7 किलोवाट का अस्थाई कनेक्शन प्राप्त किया था, जिसकी अवधि 03.08.2010 से 27.12.2011 तक की थी ।
03. उपरोक्त अस्थाई फेब्रिकेशन के कार्य पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आपत्ति उठाई गई थी, अतः कार्य बन्द करते हुए अस्थाई कनेक्शन भी दिनांक 27.12.2011 को विच्छेदित करवा दिया गया था । संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं ।
04. उक्त अस्थाई कनेक्शन को बढ़ाने हेतु मेरे द्वारा कोई थी आवेदन नहीं दिया गया एवं न ही मीटर निकालने के उपरान्त कोई भी मीटर स्थापित नहीं किया गया ।
05. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से पत्राचार के दस्तावेजों की प्रतियां (जिसमें 07 पृष्ठ हैं) प्रस्तुत किए ।
06. मेरे द्वारा अन्तिम बिल नवम्बर 2011 राशि रू. 4000/– भुगतान किया गया, उसके उपरान्त मुझे कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ एवं कनेक्शन कटवाते समय मेरे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि रू0 14000/– विभाग के पास जमा थी, जिसमें से बची हुई राशि मुझे लौटाई जावें ।
07. दिनांक 16.02.2016 को अचानक मुझे 91330/– रू0 अस्थाई कनेक्शन की बकाया राशि का बिल प्रेषित किया गया, जबकि मेरे द्वारा कनेक्शन दिनांक 27.12.2011 को कटवा दिया था और उसके बाद न तो कोई बिल प्राप्त हुआ और न तो कभी कोई मीटर लगा ।

08. दिनांक 27.12.2011 के उपरान्त मेरे परिसर में केवल स्थाई कनेक्शन था जिसका मैं नियमित भुगतान करता आ रहा हूं । इसके अलावा न तो कोई मीटर था और न ही कोई उपयोग ।

09. वर्ष 2016 में बिल प्राप्त होने पर मैंने संबंधित कार्यालय में अधिकारी से सम्पर्क साधा एवं वस्तु स्थिति से अवगत कराया जिस पर अधिकारी ने कहा कि आप पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि नहीं है यह गड़बड़ी लाईनमैन द्वारा किए जाने से उत्पन्न हुई है, इसलिए आप निश्चिंत होकर जावें । मेरे द्वारा पुनः 27.12.2011 को मीटर निकल जाने के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया । जिसका मुझे कभी प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त हुआ ।

10. पुनः दिनांक 05.01.2021 को लगभग 5 वर्ष बाद उन्होंने वहीं बिल पुनः जारी कर वसूली का तकाजा किया गया ।

11. उपरोक्त राशि अवैध है एवं मुझे अन्याय पूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है, अतः उक्त बिल जो मेरे नाम से है निरस्त करते हुए मेरी बची हुई सुरक्षा निधि मुझे वापस दिलाई जावे ।

- ❖ 6 बिन्दुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को बार–बार समय दिया गया, इसके उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः उन्हें पुनः 3 दिवस का समय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिया जाता है । इसके उपरान्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दस्तावेज को संज्ञान में लेते हुए एवं दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कथनों के आधार पर आदेश पारित किया जावेगा ।
- ❖ अनावेदक ने दिनांक 17.05.2022 को ई–मेल के माध्यम से केवल पत्र प्रेषित किया है उसमें 12 वर्ष पूर्व का प्रकरण होने के कारण दस्तावेज/फाईल उपलब्ध नहीं है, बिलिंग सिस्टम में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, वितरण केन्द्र को दूसरी जगह शिफ्ट करने से मीटर की जानकारी भी नहीं है, मीटर बदलने के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है, मीटर रीडिंग डायरी भी उपलब्ध नहीं है, केवल एच.वी.सी.एम.एस. पोर्टल का रिकार्ड ही बार–बार प्रेषित किया जा रहा है । बार–बार अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अनावेदक दिनांक 27.12.2011 के उपरान्त अस्थाई कनेक्शन की अवधि बढ़ाने के संबंध में आवेदन, मीटर की पुर्नस्थापना का प्रमाण, आवेदक द्वारा बिल भरने वाले के संबंध में प्रमाण विधि एवं पुनः मीटर निकालने के संबंध में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा ।
- ❖ तीन दिन की अवधि पुनः दिए जाने पर भी अनावेदक चाहे गए 6 बिन्दुओं पर कोई भी जानकारी/दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सकें कि अस्थाई कनेक्शन का मीटर 27.11.2012 के उपरांत पुनः स्थापित हुआ था ।

❖ उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(i) आवेदक द्वारा उसकी फैक्ट्री परिसर में विद्यमान 45 एच.पी. के स्थाई औद्योगिक कनेक्शन के अतिरिक्त अस्थाई कार्य (फेब्रिकेशन) हेतु 07 किलोवाट के कनेक्शन की मांग की गई थी ।

(ii) आवेदक के आवेदन पर अनावेदक ने दिनांक 03.08.2010 को अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया था ।

(iii) अस्थाई फेब्रिकेशन के कार्य पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आपत्ति उठाई जाने पर फेब्रिकेशन का कार्य बन्द करते हुए आवेदक ने दिनांक 27.12.2011 को अस्थाई कनेक्शन कटवाने हेतु आवेदन दिया गया था, जिस पर अनावेदक ने उसी दिन मीटर सर्विस लाईन निकाल कर अस्थाई कनेक्शन मौके पर बंद कर दिया था, किन्तु बिलिंग सिस्टम में बिलिंग बंद नहीं की ।

(iv) आवेदक ने उसे प्राप्त अन्तिम बिल नवम्बर 2011 का भुगतान कर दिया गया था जिसके उपरान्त उसे और कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ । लगभग 4 वर्ष से अधिक के उपरान्त आवेदक को राशि रू0 91330/– का बिल अस्थाई कनेक्शन के मद में बकाया होने का अचानक प्राप्त हुआ, जिस पर आवेदक ने संबंधित कार्यालय में सम्पर्क साधकर दिनांक 27.12.2011 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए पत्र प्रस्तुत किया कि मीटर 27.12.2011 को निकल चुका है एवं उसके उपरान्त उनके द्वारा अस्थाई कनेक्शन पुनः प्रदाय करने हेतु न तो कोई आवेदन किया एवं न ही कनेक्शन प्राप्त किया, जिस पर संबंधित अधिकारी ने लाईन मैन की गलती का हवाला देते हुए आश्वस्त किया कि यह बिल उनके नाम से हटा दिया जावेगा ।

(v) पुनः 5 वर्ष बाद आवेदक से उपरोक्त राशि वसूली हेतु पुनः नोटिस कर जमा करने हेतु दबाव बनाया गया जिस पर आवेदक ने आपत्ति उठाते हुए शिकायत निवारण फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया ।

(vi) यदि वास्तव में उस परिसर में मीटर लगा था तो इतनी अवधि दिसम्बर 2011 से फरवरी 2016 तक कनेक्शन किसके आवेदन पर चालू था । इसके उपरांत फरवरी 2021 तक वसूली की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

(vii) उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि 27.12.2011 को मीटर निकालने के उपरांत किसी अन्य परिसर में लगाया गया एवं वहां उपयोग करते हुए बिल भी भरा गया ।

(viii) अनावेदक द्वारा 27.12.2011 के उपरांत मीटर निकल जाने पर अस्थाई कनेक्शन की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदक का कोई आवेदन प्रेषित नहीं किया, पुनः मीटर स्थापित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, भुगतान किसके द्वारा किया गया कोई विवरण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, ना ही मीटर बदलने की रिपोर्ट पर आवेदक के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए । ना ही कोई ऐसा सबूत/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे यह सिद्ध हो सकें कि दिनांक 27.12.2011 को अस्थाई कनेक्शन का मीटर निकल जाने के बाद उसी परिसर में मीटर पुनः स्थापित कर उपयोग हुआ है ।

05. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है ।

ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।

iii) अनावेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दिनांक 27.12.2011 को अस्थाई कनेक्शन का मीटर निकल जाने के बाद आवेदन के आधार पर पुनः कनेक्शन दिया गया, जिसका भुगतान आवेदक ने समय–समय पर किया । जबकि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक का कनेक्शन दिनांक 27.12.2011 को विच्छेदित कर मीटर निकाल लिया गया था एवं उसके उपरान्त न तो उसने कनेक्शन हेतु आवेदन दिया एवं न ही उसे आवश्यकता थी । अतः अस्थाई कनेक्शन की बिलिंग 27.12.2011 को समाप्त की जाकर अन्तिम बिल जारी किया जावे ।

iv) अन्तिम बिल की राशि जमा सुरक्षा निधि रू0 14000/– में से समायोजित करने के उपरांत बची हुई राशि आवेदक को लौटाई जावे ।

v) अनावेदक को स्वतंत्रता है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग 27.12.2011 के उपरांत किसी अन्य परिसर में किए जाने की राशि संबंधित उपयोगकर्ता/इस प्रकार अवैधानिक रूप से

कनेक्शन चालू रखने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से उक्त राशि की वसूली हेतु कार्यवाही करें ।

06. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

07. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल